भीम BHIM
भारत इंटरफेस मनी

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(2)वित्त/कर/2018 जयपुर, दिनांकः 01 OCT 2021

आदेश

श्री प्रीतम सिंह, सहायक आयुक्त, बिजनेस ऑडिट–द्वितीय, संभाग–तृतीय, जयपुर हाल निवासी 60, गायत्री नगर–बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, राजस्थान, जयपुर की दिनांक 31.08.2021 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर होने वाली सेवानिवृति के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018 दिनांक 22.03.2021 को जारी की गई थी।

श्री प्रीतम सिंह द्वारा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के आधार पर दिनांक 15.08.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान करने हेतु दिनांक 10.08.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र विभाग में स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रभावी होने की दिनांक से दो दिवस विलम्ब से दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुआ फलस्वरूप श्री प्रीतम सिंह के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके पश्चात् श्री प्रीतम सिंह द्वारा दिनांक 01.09.2021 से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा चुनाव लड़ा जा चुका है। अतः उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 15.08.2021 से ही स्वीकृत की जावे।

अतः श्री प्रीतम सिंह के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) व 50(3) तथा इन नियमों के अधीन राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसरण में श्री प्रीतम सिंह, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार को दिनांक 15.08.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्द्वारा द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री प्रीतम सिंह के विरूद्ध आदिनांक तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल के आदेश से,

Sd/-

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री प्रीतम सिंह, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, बिजनेस ऑडिट–द्वितीय, संभाग–तृतीय, जयपुर हाल निवासी 60, गायत्री नगर–बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव